नियम एवं शर्तें :–

[1] कार्यालय जिला पंचायत में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि – 18.01.2017

[2] वेतनमान रूपये :– व्याख्याता (पंचायत) के लिए – वेतनमान 5300–150–8300,
शिक्षक (पंचायत) के लिए – वेतनमान 4500–125–7000

[3] आयु–सीमा :– दिनांक 1 जनवरी, 2017 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। महिला एवं विकलांगों के लिए नियमानुसार आयु सीमा में छूट की पात्रता होगी। छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए समय–समय पर आयु–सीमा में प्रदान की गई सभी प्रकार की छूट शिक्षाकर्मियों के लिए भी लागू होगें।

[4] आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं :–

[अ] व्याख्याता (पंचायत) हेतु न्यूनतम अर्हताएँ :–
शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता :– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एवं बी.एड. की उपाधि।

क्रं.	विषय	विषय समूह
1	अंग्रेजी	अंग्रेजी
2	हिन्दी	हिन्दी
3	भौतिकी	भौतिक / इलेक्ट्रॉनिक्स / एप्लाइड भौतिकी / न्यूक्लियर भौतिकी
4	रसायन	रसायन / बायोकेमेस्ट्री
5	अर्थशास्त्र	अर्थशास्त्र / एप्लाइड अर्थशास्त्र / बिजनेस अर्थशास्त्र
6	वाणिज्य	एकाउन्टेंसी सहित वाणिज्य / कास्ट एकाउंटिंग / फाइनेन्सियल एकाउन्टेंसी एक मुख्य विषय हो ।
7	गणित	गणित / एप्लाइड गणित
8	जीवविज्ञान	वनस्पति शास्त्र / प्राणीशास्त्र / मानव विज्ञान / मानविकी (लाइफसाइन्स) / जैविकी / अनुवांशिकी(जेनेटिक्स) / सूक्ष्म जैविकी (माइक्रोबायोलॉजी) / जैव प्रोद्योगिकी (बायोटेक्नॉलॉजी) / आणविक जीव विज्ञान (मालिकुलर बायोलॉजी) / पादप कार्यिकी (प्लान्ट फिजियोलॉजी) तथा स्नातक स्तर पर प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय रहा हो ।
9	भूगोल	भूगोल
10	समाजशास्त्र	समाजशास्त्र
11	मनोविज्ञान	मनोविज्ञान
12	गृह विज्ञान	गृह विज्ञान
13	कृषि	कृषि
14	व्यावसायिक गणित	व्यावसायिक गणित
15	कम्प्यूटर साईंस	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ई. / बी.टेक (कम्प्यूटर साईंस / सूचना प्रौद्योगिकी) या बी.ई. / बी.टेक. (किसी भी ब्रांच से) में कम से कम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण और कम्प्यूटर में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एस.सी. (कम्प्यूटर साईंस / कम्प्यूटर एप्लीकेशन) में स्नातकोत्तर डिग्री)
16	इतिहास	इतिहास /भारतीय प्राचीन इतिहास
17	राजनीति विज्ञान	राजनीति विज्ञान / लोक प्रशासन
18	संस्कृत	एम.ए. संस्कृत /एम.ए. (क्लासिक्स) / संस्कृत में (आचार्य) स्नातकोत्तर उपाधि.

Website :- www.zprajnandgaon.gov.in, Email :- zp-rjn.cg@nic.in
Phone No. (07744) 224060, 226495 Fax :- (07744) 220140

[ब] शिक्षक (पंचायत) हेतु न्यूनतम अर्हताएँ :–

शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता :– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से निम्नलिखित योग्यता हो :–

(क) स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे किसी नाम से जाना जाता हो)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक एवं शिक्षा विज्ञान में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.)

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा विज्ञान में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.) जो इस संबंध में समय–समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम के अनुसार प्राप्त किया होना चाहिए।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा विज्ञान में 4 वर्षीय स्नातक (बी.एल.एड.)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी.ए.एड./बी.एस.सी.एड. या बी.ए.एड./बी.एस.सी.एड.

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक तथा एक वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा)।

तथा

(ख) **राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किये दिशा–निर्देश के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) उत्तीर्ण।**

(ग) उपरोक्त स्नातक उपाधि में स्नातक विषय निम्नानुसार होंगे :–

क्रमाँक	विषय	विषय समूह
1	2	3
1	अंग्रेजी	अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो।
2	हिन्दी	हिन्दी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो।
3	सामाजिक विज्ञान	कोई दो विषय – इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान, इनमें से एक भूगोल या इतिहास विषय अनिवार्य होगा।
4	विज्ञान	रसायन, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान एवं भू–गर्भ विज्ञान, इंजीनियरिंग विषय में स्नातक जैसे बी.ई./बी.टेक.
5	रसायन	रसायन/बायोकेमेस्ट्री/इंजीनियरिंग विषय में स्नातक जैसे बी.ई./बी.टेक
6	संस्कृत	संस्कृत साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो अथवा बी.ए. (क्लासिक्स) अथवा संस्कृत में आचार्य स्नातक उपाधि।
7	गणित	गणित के साथ निम्नलिखित में से कोई दो विषय भौतिकी/रसायन/इलेक्ट्रानिक्स/कम्पयूटर साईंस/सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान एवं भू–गर्भ विज्ञान। अथवा इंजीनियरिंग विषय में स्नातक जैसे बी.ई./बी.टेक.
8	लाईब्रेरियन	लाईब्रेरी साइंस में उपाधि या स्नातक एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से लाईब्रेरी सांईस में एक वर्षीय डिप्लोमा।

[5] **आरक्षण नीति** :– आरक्षित श्रेणियों जैसे कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्त श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों को अर्हित अंकों में 05 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी।

[6] **न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में शिथिलता** :– यदि सहायक शिक्षक (पंचायत) एवं शिक्षक (पंचायत) की नियुक्ति में डी.एड. एवं बी.एड. उपाधिधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की जायेगी।

(क) कक्षा पहली से आठवीं तक की कक्षाओं में अध्यापन हेतु नियुक्ति के लिए प्रारंभिक शिक्षा विज्ञान में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे किसी नाम से जाना जाता हो)।

(ख) कक्षा छठवीं से आठवीं तक अध्यापन हेतु नियुक्ति के लिए शिक्षा विज्ञान में एकवर्षीय उपाधि।

उपरोक्त छूट 31 मार्च 2014 तक प्रभावशील रहेगी। ऐसी शिथिलता के फलस्वरूप नियुक्त शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति के दो वर्ष के भीतर न्यूनतम अर्हता ग्रहण करनी होगी।

[7] **अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) में न्यूनतम प्राप्त अंक** :–

(क) उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष आवेदकों को कक्षा पहली से पांचवी में अध्यापन के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा।

(ख) स्नातक आवेदकों को कक्षा छठवीं से आठवी में अध्यापन के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्त श्रेणी के उच्च माध्यमिक या समकक्ष तथा स्नातक आवेदकों को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा।

[8] आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।,

8.1 कोई भी उम्मीदवार, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

8.2 कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

8.3 छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। (कार्यरत शासकीय/अर्धशासकीय/निगम/मण्डल के सेवकों को नियमानुसार छूट की पात्रता रहेगी।

[9] **भर्ती का तरीका** :–

9.1– व्याख्याता(पंचायत) की नियुक्ति के लिए स्नातक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 20 अंक, स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 50 अंक तथा बी.एड. में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 30 अंक।

9.2– शिक्षक (पंचायत) की नियुक्ति के लिए 12वीं में प्राप्त अंको के प्रतिशत पर 20 अंक, स्नातक में प्राप्त अंको के प्रतिशत पर 50 अंक, बी.एड. में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 15 अंक तथा टी.ई.टी. परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 15 अंक।

[10] चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला पंचायत के छानबीन समिति का होगा।

[11] चयनित उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन/कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

[12] चयनित उम्मीदवार को पुलिस व्हेरीफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जावेगा।

[13] यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, अतएव नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।

[14] चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जावेगी।

[15] आवेदन पत्र जमा करने की विधि :–

(1) एक से अधिक विषय हेतु पृथक–पृथक आवेदन करें। (2) इस कार्यालय द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में ही ए–4 साईज पेपर में आवेदन करें। (3) आवेदक को लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में आवेदित पद, वर्ग एवं विषय का उल्लेख करना अनिवार्य होगा. (4) अभ्यर्थी आवेदन पत्र विधिवत भरने के पश्चात् "मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत राजनांदगांव, को **पंजीकृत (रजिस्ट्री–पत्र)/स्पीड–पोस्ट** से प्रेषित करेगें । (5) सीधे आवेदन–पत्र स्वीकार्य नहीं होगा । **अपने आवेदन के साथ दो स्वंय का पता लिखा हुआ लिफाफा भी संलग्न करेंगें, एक लिफाफा में 5/– रू. मूल्य का टिकट चस्पा करेंगे।** अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विज्ञापन की प्रति कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, जिला रोजगार एवं मार्गदर्शन केन्द्र एवं जिला पंचायत राजनांदगांव के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है,। इसे जिला पंचायत राजनांदगांव के वेबसाईट www.zprajnandgaon.gov.in पर देखा जा सकता है तथा विज्ञापन एवं आवेदन पत्र डाउनलोड किया जा सकता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत,राजनांदगांव(छ.ग.)